सं0सं0–01 / दि0स0नि0(यो0)–29 / 2024–

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों के बीच उद्यमिता / स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर विभाग अन्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के तहत "मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना" प्रारंभ करने एवं इसके निमित वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना के संचालन हेतु रू0 10,25,00,000/– (दस करोड पच्चीस लाख) की राशि के व्यय करने की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों के बीच उद्यमिता / स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर विभाग अन्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 से "मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना" प्रारंभ करने की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से प्रदान की गयी है। इस हेतु विभागीय संकल्प सं0–6427 दिनांक 29.08.2025 निर्गत है।

2. उक्त के आलोक में "मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना" के संचालन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुमानित 100 दिव्यांगजनों को उद्योग स्थापित करने हेतु प्रति लाभुक रू0 10,00,000/– (दस लाख) की दर से एवं लाभुकों के प्रशिक्षण आदि के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– (पच्चीस हजार) की दर से कुल– रू0 10,25,00,000/– (दस करोड पच्चीस लाख) की राशि व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बाद के वर्षों में लाभुकों की कोई संख्यात्मक अधिसीमा नहीं होगी तथा माँग के आलोक में दिव्यांगजनों को इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी मुख्य शीर्ष– 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–02 समाज कल्याण, लघु शीर्ष–101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उपशीर्ष– 0119 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' विपत्र कोड–51– 2235021010119 (सामान्य घटक) तथा मुख्य शीर्ष– 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–02 समाज कल्याण, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– 0111 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' विपत्र कोड–51– 2235027890111 (विशेष घटक) अन्तर्गत उपलब्ध बजटीय उपबंध से विकलनीय होगा।

4. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए इस मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर अनुपूरक आगणन के माध्यम से संगत शीर्षों में अतिरिक्त राशि प्राप्त की जायेगी।

5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना योजना के कियान्वयन हेतु प्रति उद्यमी निर्धारित राशि की निकासी कर उद्योग मित्र के खातें में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक– 2561 दिनांक–17.04.1998, पत्रांक–12888/वि. दिनांक–03.12.2024 एवं अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

9. स्वीकृत्यादेश पर संचिका सं0–**01/दि0स0नि0(यो0)–29/2024**– के टिप्पणी **पृ0–.31/टि0 पर दिनांक– 18.09.2025** को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0–**01/दि0स0नि0(यो0)–29/2024**– के टिप्पणी पृ0–32/टि0 पर दिनांक– **22.09.2025** को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जा रही है।

11. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि. दिनांक– 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– **01/दि0स0नि0(यो0)–29/2024**– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ संयुक्त सचिव (बजट शाखा), वित्त विभाग/संयुक्त सचिव (योजना एवं बजट शाखा), समाज कल्याण विभाग/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– **01/दि0स0नि0(यो0)–29/2024**– 179 पटना, दिनांक– 24.9.2025

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/9/25

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।